अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.3(IV) आ.कृ. / लेखा / भौ.स.प्र. / 2018–19 / 2820-2903 दिनांक 25/06/18

1. **निदेशक,**
राज्य, कृषि प्रबंध संस्थान
दुर्गापुरा, जयपुर।

2. **संयुक्त निदेशक कृषि** गु.नि. / वनस्पति / पौधव्याधि / कीटनाशी / अवशेष परी0 प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर / राज्य एवं उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।

3. **समस्त संयुक्त निदेशक**, कृषि
(विस्तार) खण्ड
जयपुर / सीकर / जोधपुर /
जालौर / कोटा / उदयपुर /
भीलवाड़ा / श्रीगंगानगर / बीकानेर।

4. **संयुक्त निदेशक, कृषि**
(तिलहन) भरतपुर।

विषयः– **निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना निरीक्षण विभाग / आयुक्तालय को नहीं भिजवायी जा रही है जिससे लम्बी अवधि से बकाया आक्षेपों का निस्तारण समय रहते नहीं हो पा रहा है तथा आक्षेप निस्तारण की गति धीमे स्तर पर बनी हुई है जिससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर नहीं भिजवाया जाना राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। साथ ही ऑडिट कमेटी मिटिंग में भी प्रगति नहीं होने से भी विपरीत स्थिति बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों (संलग्न सूची अनुसार) की आक्षेपानुसार ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना आपकी टिप्पणी सहित निरीक्षण विभाग / आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित करें। अनावश्यक विलम्ब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प.3 (IV) आ.कृ. / लेखा / भौ.स.प्र. / 2018–19 / 2820-2903 दिनांक 25/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपनिदेशक / सहायक निदेशक कृषि(वि.) / कृषि अनुसंधान अधिकारी / .... को प्रेषित कर लेख है कि निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना 15 दिवस में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यलय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि